

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य-
(पत्रांक-215/2025 दिनांक 03.08.2025)
***दिनांक-03.08.2025 को जनपद कुशीनगर पुलिस**
द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-*

थाना हाटा क्षेत्रान्तर्गत हुई हत्या की घटना का खुलासा, घटना में शामिल पति सहित 02 अभियुक्तों को मय आलाकल्ल के साथ किया गया गिरफ्तार-

दिनांक 30.07.2025 को थाना कोतवाली हाटा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बढ़या बुजुर्ग में एक महिला रम्भा देवी पत्नी गोविंद गुप्ता उम्र लगभग 30 वर्ष निवासी शितलापुर थाना निचलौल जनपद महाराजगंज की संदिग्ध परिस्थियों में शव मिला था। जिसका पोस्टमार्टम कराकर प्रकरण में मु0अ0सं0 443/2025 पंजीकृत किया गया। घटना के शीघ्र अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री संतोष कुमार मिश्रा द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री निवेश कटियार के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कसया श्री कुन्दन कुमार सिंह के नेतृत्व में कई पुलिस टीमों का गठन किया गया था। जिसके क्रम में आज दिनांक 03.08.2025 को थाना को0 हाटा, स्वाट टीम तथा सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा हत्या के घटना का खुलासा करते हुए घटना में शामिल पति सहित कुल दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्त गोविन्द गुप्ता ने बताया कि उनकी पहली शादी 16-17 वर्ष पूर्व सीमा देवी से हुई, जिससे तीन बच्चे हैं। मणिपुर में फर्नीचर ठेकेदारी करने के दौरान गोविन्द की चार वर्ष पूर्व रम्भा देवी से दूसरी शादी हुई। दोनों पत्नियों के बीच विवाद के कारण, वे रम्भा को मणिपुर ले गए। बाद में गोविन्द फुटहिया चौराहा, गोरखपुर में रम्भा के साथ किराए के कमरे में रहने लगे। उसी मकान में पूजा यादव रहती थीं, जिनके साथ गोविन्द का प्रेम संबंध बना और एक वर्ष पूर्व तीसरी शादी की। पूजा को मथौली बाजार में किराए के कमरे में रखा। गोविन्द का झुकाव पूजा की ओर बढ़ा, और उन्होंने रम्भा से छुटकारा पाने की योजना बनाई। 01.07.2025 को रम्भा को सुकरौली में किराए के कमरे में शिफ्ट किया। मनीष कुमार गुप्ता जो गोविन्द के अधीन मणिपुर में मजदूरी करता था। मनीष आर्थिक तंगी से जूझ रहा था जिसको गोविन्द ने रम्भा की



हत्या के लिए 5 लाख रुपये का लालच दिया। 27.07.2025 को गोविन्द ने आगरा जाने का बहाना बनाया। जिसके बाद योजना के मुताबिक दिनांक 30.07.2025 को मनीष ने रम्भा के कमरे में जाकर लोहे की रॉड से सिर पर प्रहार कर और दुपट्टे से गला घोटकर उसकी हत्या कर दी।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0स0 443/2025 धारा 103(1)/61(2) बीएनएस थाना को0 हाटा जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

- 1- गोविन्द गुप्ता पुत्र प्रभु गुप्ता साकिन शीतलपुर थाना कोठीभार जनपद महाराजगंज(पति)
- 2- मनीष कुमार गुप्ता पुत्र रामनरेश गुप्ता निवासी ग्राम शाहजहांपुर थाना रामपुर कारखाना जनपद देवरिया

बरामदगी का विवरण-

- 1-घटना में प्रयुक्त आलाकल्ल लोहे का राड(खुनालुदा)
- 2- अपराध में प्रयुक्त एक अदद मोटर साइकिल (यूपी 52 एयू 4571)
- 3- दो अदद मोबाइल फोन

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण-

- 1- प्रभारी निरीक्षक रामसहाय चौहान थाना को0 हाटा जनपद कुशीनगर
- 2- प्रभारी निरीक्षक आशुतोष सिंह स्वाट टीम जनपद कुशीनगर मय टीम
- 3- प्रभारी सर्विलांस उ0नि0 शरद भारती जनपद कुशीनगर मय टीम
- 4-उ0नि0 चन्द्रभूषण पाण्डेय चौकी प्रभारी सुकरौली थाना को0 हाटा जनपद कुशीनगर
- 5- उ0नि0 संतराज यादव थाना को0 हाटा जनपद कुशीनगर
- 6-हे0का0 मनीष गुप्ता थाना को0 हाटा जनपद कुशीनगर
- 7-हे0का0 धीरेन्द्र प्रताप सिंह थाना को0 हाटा जनपद कुशीनगर

थाना कसया पुलिस द्वारा गैंगेस्टर एक्ट के मुकदमे में वांछित एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 03.08.2025 को थाना कसया पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 0001/2025 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त मृत्युंजय गुप्ता पुत्र बन्टीलाल गुप्ता निवासी भटवलिया नं0 01 थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर



अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

आपराधिक इतिहास:-

- 1- मु0अ0सं0 0250/2022 धारा 363, 366, 376, 506 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना तरया सुजान कुशीनगर
- 2- मु0अ0सं0 0168/2024 धारा 3/5A/8 गोवध निवारण व 11 पशु0 क्रूरता नि0 अधि0 थाना कसया कुशीनगर
- 3- मु0अ0सं0 0001/2025 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना कसया जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्त-

मृत्युंजय गुप्ता पुत्र बन्टीलाल गुप्ता निवासी भटवलिया नं0-1 थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

01. प्र0नि0 अमित शर्मा थाना कसया जनपद कुशीनगर
02. उ0नि0 विवेक कुमार पाण्डेय चौकी प्रभारी हाईवे थाना कसया जनपद कुशीनगर
03. का0 अमित यादव थाना कसया जनपद कुशीनगर
04. का0 अभिषेक मौर्य थाना कसया जनपद कुशीनगर

थाना कोतवाली हाटा पुलिस द्वारा 02 नफर वारण्टियों को किया गया गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर में वांछित/वारण्टियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 03.08.2025 को थाना कोतवाली हाटा पुलिस द्वारा 02 नफर वारंटी को गिरफ्तार कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

मा0 न्यायालय द्वारा जारी वारंट-

- 1- मु0नं0 831/2024 धारा 74,191(2),115(2),352,351(3) बीएनएस व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना को0 हाटा जनपद कुशीनगर
- 2- मु0नं0 432/2020 धारा 138 एनआई एक्ट थाना को0 हाटा जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार वारंटीगण-

1. रामगोबिन्द मोदनवाल पुत्र स्व0 झब्बर सा0 वार्ड न0 6 ननई नगर पिपरपाती बढया खुर्द थाना को0 हाटा जनपद कुशीनगर



2. श्रवण चौहान पुत्र राजेन्द्र सा0 बड़या बुजुर्ग टोला जोल्हनिया थाना को0 हाटा जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. प्र0नि0 श्री रामसहाय चौहान थाना को0 हाटा जनपद कुशीनगर
2. उ0नि0 श्री चन्द्रभूषण पाण्डेय थाना को0 हाटा जनपद कुशीनगर
3. का0 मुकेश चौहान थाना को0 हाटा जनपद कुशीनगर
4. का0 चन्दन कुमार थाना को0 हाटा जनपद कुशीनगर

थाना जटहां बाजार पुलिस द्वारा दुष्कर्म आदि के मुकदमे में वांछित एक नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 03.08.2025 को थाना जटहां बाजार पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 51/2025 धारा 137(2)/87/64(1) बी0एन0एस0 व 3/4 पाक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त प्रिंस राजभर पुत्र योगेन्द्र राजभर सा0 अनिरुधवा बड़का टोला थाना कसया जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 51/2025 धारा धारा 137(2)/87/64(1) बी0एन0एस0 व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना जटहाँ बाजार कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्त-

प्रिंस राजभर पुत्र योगेन्द्र राजभर निवासी अनिरुधवा बड़का टोला थाना कसया जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. थानाध्यक्ष श्री आलोक कुमार थाना जटहाँ बाजार जनपद कुशीनगर
2. उ0नि0 देवेन्द्र यादव थाना जटहाँ बाजार जनपद कुशीनगर
3. का0 धर्मेन्द्र यादव थाना जटहाँ बाजार जनपद कुशीनगर

थाना बरवापट्टी पुलिस द्वारा धोखाधड़ी के मुकदमे में वांछित एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 03.08.2025 को थाना बरवापट्टी पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 042/2024 धारा



406,420,504,506,467,468,471 भादवि० थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त सफीक आलम पुत्र किताब साकिन दवनहवा थाना सेवरही जनपद कुशीनगर व हाल पता खोडा कालोनी थाना खोडा जनपद गाजियाबाद को गिरफ्तार कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु०अ०सं० 042/2024 धारा 406,420,504,506, 467,468,471 भादवि० थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्त-

सफीक आलम पुत्र किताब साकिन दवनहवा थाना सेवरही जनपद कुशीनगर व हाल पता खोडा कालोनी थाना खोडा जनपद गाजियाबाद

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. प्र०नि० श्री महेन्द्र राम प्रजापति थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर
2. व०उ०नि० श्री संजय कुमार सिंह थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर
3. का० रमेश यादव थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर
4. का० गिरजेश यादव थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर
5. का० कमलेश कुमार थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर

थाना जटहां बाजार पुलिस द्वारा 02 नफर वारण्टियों को किया गया गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 03.08.2025 को थाना जटहां बाजार पुलिस द्वारा मु०नं० 3041/2023 धारा 504,506 भा०द०वि० से सम्बन्धित वारण्टी 1. गौरव दुबे पुत्र बृज भूषण दूबे साकिन पखनहा थाना जटहाँ बाजार जनपद कुशीनगर व मु०नं० 2131/21 धारा 323,504 भा०द०वि० से सम्बन्धित वारंटी 2. जसपाल शर्मा पुत्र मगरु शर्मा साकिन आधारपट्टी चिरगोड़ा थाना जटहाँ बाजार जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु०नं० 3041/2023 धारा 504,506 भा०द०वि०
मु०नं० 2131/21 धारा 323,504 भा०द०वि०

गिरफ्तार अभियुक्त-



1. गौरव दुबे पुत्र बृज भूषण दूबे साकिन पखनहा थाना जटहाँ बाजार जनपद कुशीनगर
2. जसपाल शर्मा पुत्र मगरु शर्मा साकिन आधारपट्टी चिरगोड़ा थाना जटहाँ बाजार जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. थानाध्यक्ष श्री आलोक कुमार थाना जटहाँ बाजार जनपद कुशीनगर
2. उ0नि0 चन्द्रजीत यादव थाना जटहाँ बाजार जनपद कुशीनगर
3. उ0नि0 विकास कौल थाना जटहाँ बाजार जनपद कुशीनगर
4. कां0 जगदीश प्रजापति थाना जटहाँ बाजार जनपद कुशीनगर
5. कां0 पुष्पेन्द्र यादव थाना जटहाँ बाजार जनपद कुशीनगर

थाना विशुनपुरा पुलिस द्वारा चोरी की घटना का अनावरण, चोरी गये आभूषण व 26,280/- रुपये नकद के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री संतोष कुमार मिश्रा के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री निवेश कटियार के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तमकुहीराज श्री राकेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 03.08.2025 को थाना विशुनपुरा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 249/2025 धारा 331(4)/305/317(2) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त सुरेश जायसवाल उर्फ मुंशी पुत्र शंकर जायसवाल निवासी घुघुली थाना घुघुली जनपद महाराजगंज हा0 पता बरवा बभनौली थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर को चोरी गये आभूषण व 26,280/- रुपये नकद के साथ गिरफ्तार किया गया।

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0 249/2025 धारा 331(4)/305/317(2) बीएनएस थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्त-

सुरेश जायसवाल उर्फ मुंशी पुत्र शंकर जायसवाल निवासी घुघुली थाना घुघुली जनपद महाराजगंज हा0 पता बरवा बभनौली थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर

बरामदगी का विवरण:-

- 1-एक अदद मंगल सूत्र पीली धातु
- 2-एक अदद मंगल सूत्र का लाकेट पीली धातु



- 3-एक अदद नथिया की लरी पीली धातु
- 4-एक अदद कान का टप्स पीली धातु
- 5-नगद 26,280/ रूपये नकद

बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. अपराध निरीक्षक अनिल सिंह यादव थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर
2. उ0नि0 दिग्विजय सिंह थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर
3. हे0का0 वैष्णो प्रताप सिंह थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर
4. हे0का0 अभिषेक सिंह थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर
5. का0 अनूप पाण्डेय थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर
6. का0 रविप्रकाश यादव थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर

शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 60 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 170 बीएनएसएस के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही एक नजर में=

- 1- मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-00, ई-चालान-63 वाहन
- 2- 126/135 बीएनएसएस में की गयी कार्यवाही-मु0-31, व्यक्ति-158
- 3- वांछित/वारंटी/अन्य अपराधों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(10)
- 4- जनपद में कुल गिरफ्तारी-(कुल-70)

सोशल मीडिया सेल

जनपद कुशीनगर

